

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक: 01 अगस्त, 2022

विषय:- उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के सेवायोजन के संबंध में।

महोदय,

कृपया अधिसूचना संख्या-6/12-73-का0-2-1999 दिनांक 20 जनवरी, 1999 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथासंशोधित) के नियम-5(1) में निम्नवत प्रावधान किये गये हैं:-

"उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथासंशोधित) के नियम-5(1) में प्राविधान है कि "यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुये, सरकारी सेवा में किसी पद पर, ऐसे पद को छोड़कर, जो 30प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जाएगा।"

2- उक्त व्यवस्था से स्पष्ट है कि यदि किसी सरकारी सेवक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है तथा मृत्यु के समय सरकारी सेवक की पत्नी या पति (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन सेवायोजित है तो मृत सरकारी सेवक के आश्रित के रूप में उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य को सेवायोजन/अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान नहीं की जा सकती है।

3- शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय विभागों में मृतक आश्रित नियमावली, 1974 (यथासंशोधित) के नियम-5(1) का अक्षरशः अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उक्त प्रक्रिया का पालन न करने से दंड की संभावनाएं बनी रहेगी। जहाँ मृत सरकारी सेवक, जिसके पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन सेवायोजित है, उनके कुटुम्ब के सदस्य को भी मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन प्रदान कर दिया जाए, जो नियमों के सर्वथा प्रतिकूल एवं अनुचित है, तो यह गम्भीर अनियमितता होगी।

4- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति प्रदान करने से पूर्व आवेदक से इस आशय का शपथपत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि आवेदक के माता अथवा पिता (जैसी स्थिति हो) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित नहीं है। उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए तथा इसका उल्लंघन करने के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

डा० देवेश चतुर्वेदी

अपर मुख्य सचिव

संख्या-9/2022/6(1)/12/73/47-का-2/2022.तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
3. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
4. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
6. वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

निर्मेष कुमार शुक्ल

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।